[25/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 1720]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

ता.प्र.क्र. 1720
परिशिष्ट – "अ"

क्रमांक : एफ 19/22/2006/1/4, भोपाल, दिनांक 06/02/2006

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय योजनाओं/परियोजनाओं के शिलान्यास तथा उद्‌घाटन समारोहों में क्षेत्रीय विधायकों की अवहेलना रोकने के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि जिलों में आयोजित शासकीय कार्यक्रमों में शिलान्यास, उद्‌घाटन आदि समारोहों में स्थानीय विधायकों की अवहेलना की जाती है तथा शासकीय कार्यक्रमों में विधायकों को न तो कोई महत्व दिया जाता है और न ही आमंत्रित किया जाता है।

2/ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिये हैं कि जिलें में आयोजित शासकीय कार्यक्रमों तथा शिलान्यास, उद्‌घाटन आदि में क्षेत्र के माननीय सांसदों तथा विधायकों को आमंत्रित करें। माननीय सांसदों एवं विधायकों के क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में यदि शिलालेख लगाया जाए तो ऐसी शिलाओं में उनके नाम अनिवार्य रूप से अंकित किये जावें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(खुशीराम)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क्र० : एफ 19/22/2006/1/4, भोपाल, दिनांक 06/02/2006

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल। कृपया जिलों में पदस्थ अपने विभाग के अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, मुख्य मंत्री, कार्यालय, भोपाल ।
3. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभा
मध्य प्रदेश सचिवालय